२

(Form 'M')

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग (क)

विज्ञप्ति

संख्या 20006/एफ.१५(२)रे०/F.५७ दिनांक नवम्बर २१. १९५७

चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज उसके किसी भाग की हकदार है;

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है;

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिये नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन, जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बंजर-भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्त्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना, या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिये या मकान बनाने के लिये या पशु पालन के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)
द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

(स्रा. डी. आर. एन. हाना)
शासन सचिव।

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण
					7000 एकड़
A.	रामगारी भूत खोरा पार्ट A	घाटोल सही प्रतिलिपि 28-8-73 सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी मान. उदयपुर	बांसवाड़ा	उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम	- हद मजरा का मोजा ... व रास्ता ... बड़ावद. घाटा ... गामड़ पानड़िया। - हद मजरा का मोजा पडानद्रा हरो कुपड़ा ... खरखोटी व नदी एरान। - हद मजरा का मोजा रामगढ़ व नदी माही। - हद मजरा का मोजा ... नाल-चोकी रामगारी ...

रा० मु० उ० 745-11-73-2,000 फॉ०

... राजपत्र संख्या ५५ दिनांक ६-२-५८ भाग (१) ख। पृष्ठ संख्या ... पर प्रकाशित हुआ है।

नकल की ... मुकाबला किया ...

Form D/A

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

संख्या F. 7 (126) रा० क/71

दिनांक 22-9-71 सन्

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राजस्थान राजपत्र
दिनांक 4-5-72

राज्यपाल की आज्ञा से,
S.d. उप राजस्व सचिव
शासन सचिव।
राजस्थान सरकार जयपुर

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी या वन खण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वन खण्ड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
बांसवाड़ा –	घाटोल	सागबारी भूत खोरा ए.	जलदा –	२४.३४	
			केलामेला	३६६-१०	
			– " –	५२४-४६	
			सागबारी	~~२३१-०२~~ ३.३०	
			केन्चला	२३१-०२	
				११४९-२२ एकड़ अर्थात १-७९ वर्गमी० या ४-६३ व० किमी०	

सच्ची प्रतिलिपि
[signature] 28.4.75
सहायक वन [illegible] अधिकारी
मान. [illegible]

नकल की लालसिंह अमीन

मुकाबला किया
[signature] रामसिंह

[signature]

रा० मु० उ० 746-11-73-1000 फा.